केन्द्रीय क्षेत्र योजना
विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क
संशोधित संचालन दिशानिर्देशिका
(31.07.2008 से लागू)
एगमार्कनेट
http//agmarknet.nic.in

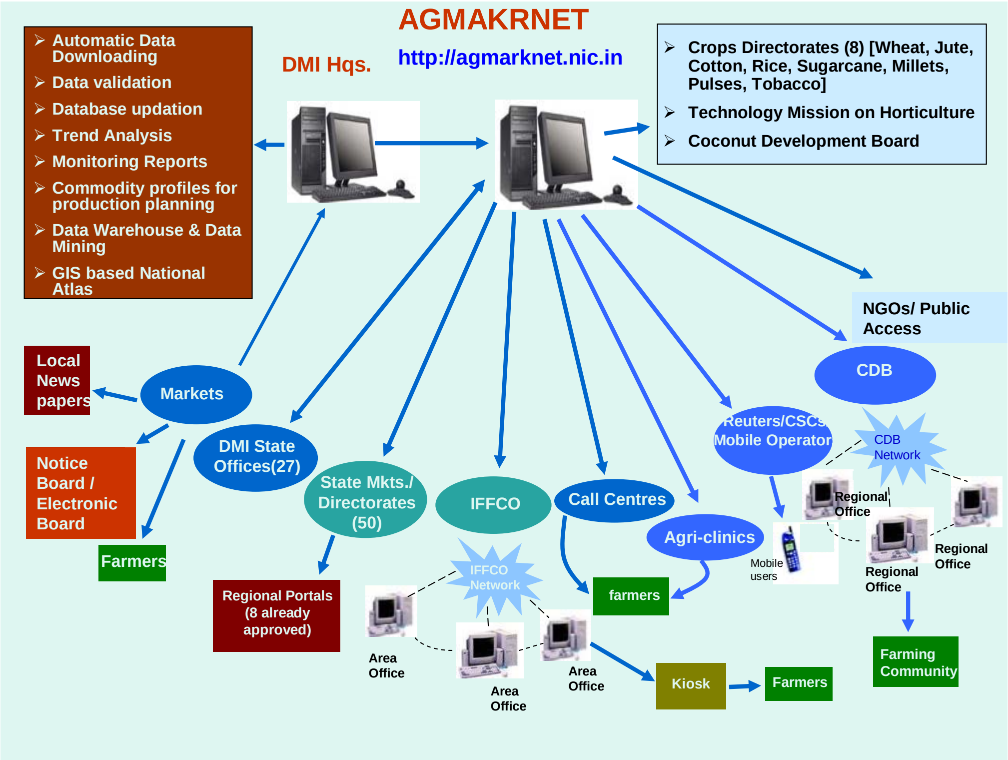

एगमार्कनेट
(निकनेट आधारित कृषि विपणन सूचना नेटवर्क)
(www.agmarknet.nic.in).
मंडी सूचना के माध्यम से किसानों का सशक्तीकरण

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग

पृष्ठभूमि

किसानों को उत्पादन और विपणन के लिए मंडी सूचना की आवश्यकता होती है तो अन्य मंडी प्रतिभागियों को सर्वोत्तम व्यापार निर्णय के लिए इसकी जरूरत होती है । विपणन व्यवस्था में कार्यात्मक और मूल्यात्मक दक्षता हासिल करने के लिए पूर्ण और सटीक विपणन सूचना की उपलब्धता और उसका प्रसार मूलभूत आवश्यकता है । सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने जहां एक ओर विश्व को संकुचित दायरे में सीमित कर दिया है वहीं दूसरी ओर इसे एक बृहद मंडी का रूप दे दिया है । कृषक समुदाय के हित के लिए व्यापार के नए अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने हेतु इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कृषि विपणन सूचना नेटवर्क स्थापित किया जाए ।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कृषि मंत्रालय ने देश भर में फैली कृषि उत्पाद मंडियों तथा राज्य कृषि विपणन बोर्डों और निदेशालयों को जोड़ने के लिए, मार्च, 2000 में आई सी टी आधारित केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सूचना नेटवर्क (एगमार्कनेट) स्थापित किया । **योजना तेजी से आगे बढ़ी और दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस योजना के अंतर्गत 2784 कृषि उपज मंडियों (अनुलग्नक-I) सहित कुल 2965 नोड्स कवर कर लिए गए । डी0एम0आई0 के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य कृषि विपणन बोर्डों/निदेशालयों और उनके सम्बद्ध कार्यालयों इत्यादि ने सभी नोड्स को आवश्यक कम्प्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम साफ्टवेयर टूल्स (अनुलग्नक-II) की आपूर्ति की और मार्च, 2007 तक 1976 मंडी नोड्स में इंटरनेट कनेक्टीविटी से कार्य प्रारंभ हो चुका है ।** मंडी सूचना के संगठन और सम्प्रेषण को आसान बनाने के लिए एक प्रयोक्ता सहज सॉफ्टवेयर पैकेज ‘एगमार्क’ बनाया गया है और उसे मंडियों में लगाया गया है । किसानों और अन्य लाभार्थियों में अधिकाधिक सूचना के आदान-प्रदान के लिए एगमार्कनेट पोर्टल (http//agmarknet.nic.in) विकसित किया गया है । 1700 से अधिक मंडियों से नियमित रूप से प्राप्त होने वाला डाटा इस पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है । कृषि विपणन से संबंधित विभिन्न संगठनों की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए एगमार्कनेट पोर्टल सिंगल विन्डों के रूप में भी कार्य करता है । कुछ खास वस्तुओं के मामले में यह पोर्टल महत्वपूर्ण मंडियों का साप्ताहिक ट्रेन्ड विश्लेषण भी प्रसारित करता है । यह ऑनलाईन कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया से भी जुड़ा हुआ है

जो तिलहन और रेशेदार फसलों इत्यादि के वायदा बाजार के मूल्यों को सूचित करता है । इस पोर्टल के माध्यम से आप FAO वेबसाइट पर उपलब्ध, विभिन्न कृषि वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य ट्रेन्ड की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं । इस पोर्टल को निरंतर अधिकाधिक जानकारी से समृद्ध किया जा रहा है ।

कृषि उपज की मंडी पहुंच में वृद्धि करने के लिए और मूल्य संवर्धन के माध्यम से बेहतर कीमत तलाशने हेतु गुणवत्ता, पैकिंग, मानकों, साफ-सफाई और पादप स्वच्छता इत्यादि मंडी-अपेक्षाओं संबंधी सूचना को योजना के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से प्रसारित किया जा रहा है ।

शेष मुख्य विनियमित मंडियों, यदि कोई हों, कृषक/उपभोक्ता मंडियों, निजी मंडियों, पंचायत मंडियों, शहरी मंडियों और विशेष जिंस मंडियों सहित 500 अतिरिक्त मंडियों को कवर करने के लिए इसके क्षेत्र को बढ़ाकर योजना को XIवीं योजना अवधि के दौरान चालू रखने की योजना बनाई गई है । योजना के विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए, योजना को कार्यान्वित करते समय निम्नलिखित क्रिया-कलापों को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है –

(i) निर्यात प्रलेखन, निर्यात आधारिक संरचना, यातायात सुविधाएं, निर्यातक, विपणन विशेषज्ञों, कृषि-व्यापार निगम, गुणवत्ता मानक, श्रेणीकरण/पैक हाऊस आधारिक संरचना, पादप संगरोध सुविधाएं, बेहतर विपणन कार्यों के पैकेज, जिन्सों की सीजनेलिटी संबंधी सूचना पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

(ii) संविदा कृषि, प्रत्यक्ष विपणन अवसर, मूल्य संवर्धन सुविधाओं इत्यादि के संबंध में सूचना को समृद्ध किया जाना है और बाह्य स्त्रोत से किसी विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से विशिष्ट साफ्टवेयर सिस्टम विकसित करके कृषकों/उत्पादकों और प्रायोजकों/ खरीदारों के मध्य होने वाले करारों को पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा । कृषकों को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर शिक्षित कर इसे पारस्परिक जानकारी आधारित प्रणाली के रूप में विकसित किया जाएगा और यह बाई-बैक और संविदा कृषि व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय क्लियरिंग हाऊस के रूप में सेवा मुहैया कराएगा ।

(iii) माल गोदामों के पतों सहित, प्रत्यायन सुविधाएं और उनकी दूरी, प्लेज फाइनेंसिंग सुविधाओं इत्यादि संबंधी सूचना भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

(iv) पोर्टल पर क्षेत्र विशेष की सफलता की कहानियां लोड की जाएंगी ताकि कृषक ज्ञान प्राप्त करें और अपनी उपज के व्यापार हेतु योजना बना सकें ।

(v) जी आई एस आधारित एटलस को शीघ्र ही विषय सूची में शामिल किया जाएगा और आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए तन्त्र स्थापित किया जाएगा ।

(vi) गलत रिपोर्टिंग की पहचान करने और केन्द्रीय डाटा बेस से अवांछित डाटा को हटाने के लिए एक डाटा वेलिडेशन साफ्टवेयर विकसित किया जाएगा ।

(vii) महत्वपूर्ण जिंसों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य, आमद, तापमान इत्यादि के प्रदर्शन के लिए नेटवर्क से जुड़ी प्रत्येक मंडी में इलेक्ट्रानिक प्रदर्शन बोर्ड लगाए जाएंगे । जहां तक संभव हो सकेगा, उपभोक्ता मामले विभाग की योजना के अंतर्गत फारवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा की जा रही कार्रवाई के अनुरूप ही ये प्रयास किए जाएंगे ।

(viii) कृषकों, व्यापारियों इत्यादि द्वारा सूचना के दक्षतापूर्ण और समयबद्ध उपयोग के लिए एगमार्कनेट का एक प्रभावी प्रचार अभियान चलाया जाएगा ।

(ix) योजना के विभिन्न पणधारियों की क्षमता-बिल्डिंग का कार्यक्रम नियाम/मैनेज/सेमेटि/आटमा/केवीके की सहायता से शुरू किया जाएगा । कृषकों को जागरूक बनाने के लिए और पणधारियों तथा राज्यों के विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम भी इस योजना के अंतर्गत शुरू किए जाएंगे ।

(x) पोर्टल की सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद भी जरूरी है और यह कार्य संबंधित राज्य विपणन बोर्डों/निदेशालयों के माध्यम से किया जाता है ।

(xi) मंडी सूचना सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्पोरेट, टेलीकाम कार्यकर्ताओं और निजी उपभोक्ताओं के साथ महत्वपूर्ण गठबंधनों को विकसित किया जाएगा ।

(xii) डी0आई0टी0 की कामन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यक्रम सीएससी पर यथा प्रस्तावित आई टी कियोस्क के साथ एगमार्कनेट पोर्टल का लिंकेज स्थापित हो जाने पर सूचना को बृहद रूप से प्रसारित करने में सहायक होंगे ।

(xiii) **प्रत्येक नोड से मंडी सूचना का समय से संग्रहण और नियमित प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए राज्य विपणन निदेशालयों/बोर्डों के इस कार्य में संलग्न कार्मिकों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ मंडी कार्यकर्ताओं/बोर्डों/निदेशालयों को पहचान (पुरस्कार) प्रदान की जाएगी ।**

(xiv) **मोबाइल टेलीकाम सेवा प्रदाताओं के माध्यम से जन सामान्य स्तर पर मंडी सूचना के प्रसारण की सुविधा प्रदान करने के लिए डी एम आई, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय की एजेंसियों और अन्य के साथ सहयोग करेगा ।**

(xv) **नियाम द्वारा विकसित मूल्य भविष्यवाणी (फोरकास्टिंग) साफ्टवेयर के कार्य को, किसी सक्षम एजेंसी को सौंपकर सुदृढ़ बनाया जाएगा और इसे एगमार्कनेट से जोड़ा जाएगा ।**

(xvi) **राज्य सरकारों/विपणन बोर्डों की सहायता से लगातार और समय से डाटा की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और पोर्टल के लिए ईष्टतम कवरेज, आधारिक संरचना और शक्ति प्राप्त करने के बाद मूल्यांकन अध्ययन द्वारा संस्तुत रिवेन्यू माडल तैयार किया जाएगा और इसे XIवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कार्यान्वित किया जाएगा । सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) माडल्स को अपनाने के लिए और XIवीं योजना अवधि के बाद भी पोर्टल को बनाए रखने के लिए, इस संबंध में संबंधित राज्य विपणन बोर्डों के परामर्श से एक रणनीति तैयार की जाएगी । जैसा कि मूल्यांकन अध्ययन में संस्तुति की गई है, मंत्रालय, बाई –बिल्ड-ओन आपरेट (बी बी ओ ओ) माडल को अपनाए जाने पर विचार करेगा । एगमार्कनेट पोर्टल के लिए रिवेन्यू जेनेरेशन मॉडल दो स्थापित मॉडलों अर्थात विज्ञापन मॉडल और अभिदान मॉडल का मिश्रित रूप होगा जोकि संयुक्त रूप से विज्ञापन-सह-अंशदान मॉडल के रूप में होगा ।**

कृषि क्षेत्र में श्रेणीकरण एवं मानकीकरण, पैकेजिंग एवं लेबलिंग, भंडारण एवं वेयरहाऊसिंग तथा स्वास्थ्य-पूरक एवं स्वास्थ्य-संरक्षक अपेक्षाओं तथा गुण-प्रमाणन के राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के संवर्द्धन से व्यापार एवं प्रसंस्करण क्षेत्र घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडियों में कृषि विपणन का कार्य बड़े पैमाने पर करने में सक्षम हो सकेगा ।

सरकारी विभागों एवं केन्द्रीय एजेंसियों स्वास्थ्य, खाद्य, वाणिज्य, उपभोक्ता विभाग एवं सी0सी0आई0, जे0सी0आई0, एन0सी0डी0सी0, नैफेड,एन0टी0जी0एफ0, ट्राइफेड, एन0सी0सी0एफ0, एन0डी0डी0बी0,एन0एच0बी0, ऐपिडा, एम0पी0इ0डी0ए0 द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली कृषि विपणन योजनाओं से संबंधित सूचना को भी प्रयोक्ता सहज ढ़ंग से प्रसारित किया जाएगा । मंडियों एवं अन्य प्रयोक्ताओं के मध्य प्रभावी ढ़ंग से एवं समय पर सूचना-विनिमय को सहज बनाने के लिए एगमार्कनेट के नोडस की इ-डायरेक्टरी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी । एक बार मानकीकृत हो जाने एवं लैबल लग जाने तथा गुण-प्रमाणन मिल जाने के बाद कृषि उत्पाद विक्रय हेतु सीधे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंडियों की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जा सकता है ।

<u>इस योजना का उद्देश्य</u>

(i) मंडी सूचना एवं आंकड़ों के त्वरित संग्रहण एवं प्रसारण हेतु राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क तैयार करना ताकि इनको सही एवं समय पर उपयोग में लाया जा सके ।

(ii) कृषकों द्वारा बेहतर कीमत उगाही से संबंधित सूचना के संग्रहण एवं प्रसारण को सहज बनाना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) मंडी से संबंधित सूचना जैसे – मंडी शुल्क, मंडी प्रभार, लागत, विक्रय विधि, भुगतान, तुलाई, संभलाई, मंडीकर्मी, विकास कार्यक्रम, मंडी कानून, विवाद निपटान तंत्र, मंडी समितियों का गठन, आय व व्यय आदि ।

(ख) कीमत संबंधी सूचना, जैसे-विपणित की गई किस्मों एवं क्वालिटी की न्यूनतम, अधिकतम एवं बहुलक कीमतें, मंडी पर कुल आवक एवं प्रेषण स्थल सहित जावक की मात्रा, मंडी खर्च एवं लाभ आदि ।

(ग) आधारिक संरचना संबंधी सूचना जिसमें कृषकों के लिए भंडारण एवं वेयरहाऊसिंग संबंधी सुविधाएं, शीतागार, प्रत्यक्ष मंडियां, श्रेणीकरण, पुनर्संभलाई एवं पुनसंवेष्ठन आदि शामिल हैं; और

(घ) संवर्द्धन संबंधी सूचना जिसमें स्वीकृत मानक एवं श्रेणियां, लेबलिंग, स्वास्थ्य-पूरक एवं स्वास्थ्य संरक्षक अपेक्षाएं, प्रतिभूति वित्त, विपणन ऋण एवं बेहतर विपणन के लिए उपलब्ध अवसर शामिल हैं ।

(iii) विस्तार संवाहक के रूप में प्रौद्योगिकी सूचना माध्यम का प्रयोग करके कृषि विपणन के क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषकों को जागरूक बनाना ।

(iv) क्षेत्र-विशेष के कृषकों तक पहुंच बनाने के लिए उनकी अपनी भाषाओं में नियमित प्रशिक्षण एवं विस्तार के माध्यम से कृषि विपणन की क्षमता को संवर्द्धित करना ।

(v) मंडी सूचना के सृजन हेतु विपणन अनुसंधान को सहायता प्रदान करना ताकि देश में अच्छी विपणन व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसे बुनियादी स्तर के कृषकों एवं अन्य विपणन कर्मियों तक प्रसारित किया जा सके ।

कार्यान्वयन योजना

इस योजना के कार्यान्वयन में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी0एम0आई0), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एस0ए0एम0बी0) तथा विभाग के माध्यम से राज्य सरकारें, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के संस्थान, एकल मंडी समितियां/प्राधिकरण, **स्थानीय निकाय, निजी मंडी आपरेटर,** जहां जो लागू हो, शामिल होंगे । हार्डवेयर उपलब्ध कराने, साफ्टवेयर विकसित करने, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर संचालन करने हेतु मंडीकर्मियों को प्रशिक्षित करने, समय-समय पर साफ्टवेयर पैकेज को अद्यतन बनाने, इंटरनेट संयोजन उपलब्ध कराने, राज्य स्तरीय पोर्टलों को विकसित करने तथा उन्हें चालू कराने का कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र करेगा । डाटाबेस में एकरूपता लाने हेतु राज्य द्वारा विकसित किए गए साफ्टवेयर पैकेज को एगमार्कनेट के साथ समन्वित/एकीकृत करने का कार्य भी यही केन्द्र करेगा । यह एगमार्कनेट पोर्टल के प्रबंधन का कार्य भी करता रहेगा । जहां संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाएगा वहां राज्य स्तरीय पोर्टलों के प्रबंधन से संबंधित कार्य अन्य स्त्रोतों द्वारा किया जा सकता है ।

राज्य सरकार/**विपणन बोर्ड** उन मंडियों की सूची डी0एम0आई0 को उपलब्ध कराएगी जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत कंप्यूटर संयोजन उपलब्ध कराना है । चुनिंदा मंडियां कंप्यूटर लगाने हेतु जगह उपलब्ध कराएंगी जहां (1) धूल रहित कंप्यूटर कक्ष (2) विद्युत आपूर्ति (i) 3 इलेक्ट्रिकल पॉइन्ट्स (स्विच सहित 15 ए0एम0पी0 की 6 पिन सॉकेट) आदानों को सुरक्षित रखने वाले 6 ए0एम0पी0एम0सी0बी0 (ii) 220/230 वोल्ट की विद्युत-आपूर्ति (iii) उल्लिखित सॉकेट टर्मिनलों में लाइन, न्यूट्रल एवं भू-संयोजन (iv) उपयुक्त अर्थ पिट की

कॉपर वायर अर्थिंग (जिसमें अर्थ से न्यूट्रल का वोल्टेज 3 से कम हो) जिसके लिए एक विशेष फेज की व्यवस्था हो (3) कंप्यूटर ऑपरेटर (4) जहां आवश्यक हो, एस0टी0डी0 सुविधायुक्त टेलिफोन ।

मंडी स्तर पर मंडी समितियां तथा एगमार्क नोड के नियंत्रक/प्रबंधक संगत आंकड़े एवं सूचना का संग्रह कर उसे अपने कंप्यूटर में फीड करके राज्य स्तरीय एवं एगमार्कनेट पोर्टल पर संप्रेषित करेंगें ।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र प्रत्येक नोड के **उपयुक्त** व्यक्तियों को कंप्यूटर संचालन तथा साफ्टवेयर पैकेज के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित करेगा । प्रत्येक मंडी नोड पर, आंकड़े संग्रहण और ट्रांसमिशन के कार्य में संलग्न एक व्यक्ति के लिए इस योजना के अंतर्गत 500 रूपए प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी बशर्ते कि उसने माह में 20 से अधिक दिन नियमित रिपोर्टिंग करने का कार्य किया हो । एन0आई0सी0 प्रत्येक मंडी नोड की निष्पादन डायरी के आधार पर संबंधित विपणन बोर्डों/निदेशालयों/राज्य विभागों के माध्यम से इस भुगतान की व्यवस्था करेगा । राज्य कृषि विपणन बोर्ड/विभाग इस योजना के कार्यान्वयन में सहयोग करने हेतु एक मुख्य अधिकारी को नामित करेगा । इस योजना के राज्य स्तरीय मुख्य अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि इस योजना को गतिमान बनाए रखने के लिए मंडी स्तरीय कर्मचारी अपना कार्य नियमित रूप से करते हैं ।

राज्य स्तरीय सर्वर मुख्य रूप से इस योजना का कार्यान्वयन करने वाले राज्य विपणन बोर्ड/ निदेशालय के मुख्यालय में लगाए जाएगें ।

इस योजना में गहन रूचि लेने, इसकी गतिविधियों में स्वयं उत्साहित होकर सहयोग करने हेतु विभिन्न कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि मंत्रालय मंडी सूचना/मंडी आसूचना के प्रसारण, राज्य पोर्टलों और मंडी संबंधी विस्तार के संचालन/राज्य सरकारों/राज्य कृषि विपणन बोर्डों/सेमेटी इत्यादि के जागरूकता कार्यक्रमों के डिजाइन और प्रबंधन में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए पुरस्कारों की स्थापना करेगा । राज्य कृषि विपणन बोर्डों/निदेशालयों, डी0एम0आई0, एन0आई0सी0 के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले कार्मिकों के लिए भी पुरस्कारों की स्थापना की जाएगी । इन पुरस्कारों को देने के लिए विस्तृत दिशा

निर्देश, दिए जाने वाले प्रोत्साहनों सहित मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाएंगे । पुरस्कार अपर सचिव (कृषि विपणन) की अध्यक्षता में गठित पुरस्कार समिति के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे और पुरस्कार समिति में बाह्य सदस्यों के रूप में विशेषज्ञ भी शामिल होंगे ।

इस योजना के अंतर्गत सहायता

कंप्यूटरीकरण

राज्य कृषि विपणन बोर्ड/निदेशालय एवं कृषि मंडियों को निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी :-

- विषय-सामग्री सृजन तथा राज्य स्तरीय पोर्टल के स्थानीय भाषाओं में प्रबन्धन को सहज बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ-साथ सर्वर सिस्टम
- सभी चुनिंदा मंडियों में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उपकरणों की आपूर्ति और **पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान कवर किए गए उन मंडी नोडों में उनका सबस्टीटयूशन किया जाएगा जहां उनकी वस्तुतः आवश्यकता है ।**
- **तीन से पांच वर्षों तक** मुफ्त वार्षिक अनुरक्षण
- **रा0सू0वि0कें0 द्वारा आरंभ के पांच वर्षों के लिए इंटरनेट संयोजन** । अगर रा0सू0वि0कें0 इंटरनेट संयोजन उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होगा तो प्राधिकृत स्थानीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से सेवा लेने हेतु यह नियंत्रण प्राधिकारी को प्रतिवर्ष 3000/- रू0 तक की राशि की प्रतिपूर्ति करेगा ।
- हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर संचालन हेतु मंडीकर्मियों को प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विश्लेषण तथा रिफ्रेशर प्रशिक्षण ।
- राज्य द्वारा विकसित किए गए सॉफ्टवेयर पैकेजों का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित किए गए साफ्टवेयर पैकेज में समन्वय/एकरूपता हेतु सहयोग ।

अनुसंधान

निम्नलिखित कार्यों के लिए इस योजना के अंतर्गत राज्य कृषि विपणन बोर्ड/निदेशालयों एवं मंडी समितियों तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों को सहायता प्रदान की जाएगी :-

1) सृजित आंकड़ों एवं सूचनाओं के राज्य एवं मंडी स्तर पर स्थानीय भाषा में प्रकाशन सामग्री की तैयारी तथा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां एवं मंडी समितियों/प्रबंधकों द्वारा इसका प्रकाशन व प्रचार ।

2) श्रेणीकरण के स्वीकृत मानकों, पैकेजिंग एवं लेबलिंग, गुण-प्रमाणन, स्वास्थ्यपूरक तथा स्वास्थ्य संरक्षण के पहलुओं, बेहतर कीमत हेतु अच्छी कृषि प्रणाली, संविदा कृषि की सफलताओं की कहानियां, समूह विपणन, विनियमित मंडियों की सही प्रणाली, विनियमित मंडियों में कृषकों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व तथा विपणन से संबंधित अन्य मुद्दों से जुड़ी सामग्री तैयार किया जाना ।

3) विपणन आधारिक विस्तार को सहज बनाने के लिए राष्ट्रीय एटलस तैयार करना, वस्तु प्रारूप, सी0डी0, प्रसारित किए जाने हेतु जानकारी की अपलोडिंग तथा डाउनलोडिंग का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसार करना ।

   एटलस से वस्तु के बड़े-बड़े उत्पादन क्षेत्र, संचयन एवं भंडारण, मंडी तथा खपत केन्द्रों के बारे में सूचना मिलेगी । यह कृषि क्षेत्र में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को योजना बनाने और उचित विपणन योजना के विकास में सहायता प्रदान करेगी ।

4) किसानों को और विपणन कार्यकर्ताओं को उनकी देशी भाषा में शिक्षण व प्रशिक्षण सामग्री पहुंचाने के लिए बाजार प्रधान उत्पादन, विपणन वित्त सहायता, फसल कटाई के बाद प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन के लिए सुविधाओं पर सूचना और मानक संविदा कृषि, प्रत्यक्ष विपणन, वैकल्पिक बाजार और वायदा बाजार सहित वैकल्पिक मंडियां, वस्तु-विनिमय, ऑन-लाइन सूचना प्रणाली आदि के क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं शैक्षिक मॉड्यूल तैयार करना ।

5) निजी, सहकारी, सार्वजनिक और नियमित क्षेत्रों में अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध व्यावसायियों/विशेषज्ञों के माध्यम से विपणन अनुसंधान करना ।

6) आतमा, केवीके, मैनेज और नियाम इत्यादि को शामिल करते हुए किसानों और अन्य मंडी कार्यकर्ताओं को स्थानीय भाषा में वेबसाइट के माध्यम से मंडी संबंधी सूचना प्रसारित करने के लिए मंडी/ग्राम स्तर पर कृषक जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों को चलाना

योजना के अन्तर्गत सहायता की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया

राज्य कृषि विपणन बोर्ड/निदेशालय प्राथमिकता के आधार पर सूचना नेटवर्क के अन्तर्गत आने वाली मंडियों की पहचान करेंगे और इन्हें विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद को **निर्धारित प्रोफार्मा में** स्वीकृति के लिए भेजेंगे । राज्य विपणन बोर्ड/विभाग/राज्य स्तरीय संस्थान, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के राज्य/क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों के माध्यम से किसानों को शिक्षित करने के लिए इस कार्य के लिए आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु सी.डी. एटलस, शोध और अद्यतनीकरण, विपणन अनुसंधान और सूचना निर्माण तथा प्रसारण और अन्य कोई प्रचार कार्य कलापों से संबंधित प्रस्तावों को भेजेंगे । राष्ट्रीय स्तर के संस्थान सहायता की स्वीकृति के लिए विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद को सीधे प्रस्ताव भेज सकते हैं । स्वीकृति में प्राथमिकता उन राज्यों को दी जाएगी जो इस योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रुचि लेते रहे हैं । इस योजना कार्यान्वयन में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के क्षेत्रीय और राज्य स्तर के कार्यालय, राज्य कृषि विपणन बोर्ड/निदेशालय और मंडी समितियां/प्रबंधन आपसी सहयोग से करेंगे ।

कृषि विपणन सलाहकार एवं संयुक्त सचिव (विपणन) भारत सरकार के अधीन एक समिति **पहले से कार्य कर रही है** जो विपणन विस्तार शिक्षण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को एक माध्यम के रुप में सहज बनाने हेतु विपणन अनुसंधान और वेबसाइट को समृद्ध करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता की स्वीकृति हेतु इस पर विचार करती है ।

कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा देय शपथपत्र

कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना के पूर्ण होने पर इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गए राज्य स्तर के पोर्टल और मंडी नोड्स वाले सिस्टम के अनुरक्षण, वेबसाइट पर मंडी संबंधी सूचना को नियमित रुप से अपलोड करना और बेहतर विपणन के लिए बेवसाइट पर उपलब्ध सूचना को किसानों को प्रसारित करना होगा । कार्यान्वयन एजेंसी अनुलग्नक-III में दिए प्रपत्र के अनुसार इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगी ।

निगरानी और मूल्यांकन

राज्य में कार्यान्वयन एजेंसिया, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, एन.आई.सी. और राज्य नोडल एजेंसी के अधिकारियों की एक राज्य स्तरीय समिति का कठन करके प्रत्येक माह योजना की प्रगति पर निगरानी रखेगी । **योजना का मध्यावधि मूल्यांकन वर्ष 2009-10 में एक स्वतंत्र अभिकरण द्वारा किया जाएगा और अंतिम मूल्यांकन योजना के समाप्ति वर्ष अर्थात् 2011-12 में किया जाएगा ।**

सम्पर्क कार्यालय

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय-राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के सम्पर्क कार्यालयों की सूची अनुलग्नक- IV पर दी गई है ।

वित्तीय परिव्यय

ग्यारहवीं योजना अवधि के अन्तर्गत इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि (15.00 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय सहित) का अनुमोदन किया गया है । ग्यारहवीं योजना के दौरान शामिल किए गए परिव्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

करोड़ रुपए में

घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
1. (i) एगमार्कनेट नोड्स की स्थापना और ए.एम.सी. इन्टरनेट कनेक्टीविटी जैसी आवर्ती लागत सहित पुराने हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर को बदला जाना	1.11 (93 नए नोड्स प्रति नोड 1.19 लाख रुपए की दर से)	2.12 (175 नए नोड्स प्रति नोड्स 1.21 लाख रुपए की दर से)	1.12 (92 नए नोड्स प्रति नोड्स 1.21 लाख रुपए की दर से)	0.30 (पुराने नोड्स को बदलना)	0.30 (पुराने नोड्स को बदलना)	5.00 (360 नए नोड्स)
(ii) एक व्यक्ति को प्रति माह प्रति मंडी नोड 500 रु0 की दर से प्रोत्साहन मानदेय का भुगतान (एन. आई. सी. के माध्यम से)	0.00	0.36 (1200 नोड X 3000 रु0)	1.20 (2000 नोड X 6000 रु0)	1.68 (2800 नोड X 6000 रु0)	1.98 (3300 नोड X 6000 रु0)	5.22
2. राज्य की राजधानियों में क्षेत्रीय पोर्टल लगाए जाना	0.00	0.15 (3)	0.15 (3)	0.15 (3)	0.15 (3)	0.60 (12)
3. सुदृढ़ीकरण (i) डी.एम.आई. का मिन कक्ष (ii) डी.एम.आई. मुख्यालय में एन. आई.सी.	 0.05 0.05	 0.15 0.10	 0.15 0.10	 0.15 0.10	 0.15 0.10	 0.65 0.45
4. विपणन अनुसंधान	0.05	0.20	0.20	0.20	0.20	0.85
5. गैर आवर्ती/आवर्ती	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.50
6. योजना के लिए राष्ट्रीय एटलस, अनुसंधान अद्यतनीकरण और नॉलेज ट्रांसफर सिस्टम (सी.डीज), जागरुकता (मंडी से जुड़े विस्तार कार्यक्रम) और प्रचार, इलेक्ट्रोनिक प्रदर्शन बोर्ड, व्यावसायिक सेवाएं, पुरस्कार, सॉफ्टवेयर तैयारी/ सब-पोर्टल की आउट-सोर्सिंग इत्यादि ।	1.38	1.50	1.30	1.30	1.25	6.73
योग	**2.74**	**4.68**	**4.32**	**3.98**	**4.28**	**20.00**

अनुलग्नक- I

दसवीं योजना तक एगमार्कनेट के अन्तर्गत सम्मिलित की गई मंडियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कम्प्यूटर उपलब्ध करना	मंडी नोड
1.	अंडमान एवं निकोबार	1	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	360	349
3.	अरुणाचल प्रदेश	16	15
4.	असम	26	23
5.	बिहार	60	58
6.	चंडीगढ़	2	1
7.	छत्तीसगढ़	76	74
8.	दादारा एवं नगर हवेली	2	1
9.	दमन एवं दीव	3	2
10.	गोवा	9	6
11.	गुजरात	323	319
12.	हरियाणा	152	131
13.	हिमाचल प्रदेश	37	35
14.	जम्मू एवं कश्मीर	43	41
15.	झारखंड	28	26
16.	कर्नाटक	146	143
17.	केरल	95	92
18.	लक्षद्वीप	1	0
19.	मध्य प्रदेश	220	218
20.	महाराष्ट्र	350	346
21.	मणिपुर	6	5
22.	मेघालय	13	11
23.	मिजोरम	12	9
24.	नागालैंड	15	14
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12	9
26.	उड़ीसा	81	73
27.	पुडुचेरी	3	2
28.	पंजाब	185	181
29.	राजस्थान	175	166
30.	सिक्किम	8	7
31.	तमिलनाडू	120	93
32.	त्रिपुरा	14	13
33.	उत्तर प्रदेश	259	257
34.	उत्तराखंड	21	20
35.	पश्चिमी बंगाल	59	44
36.	प्रधान कार्यालय, फरीदाबाद	32	0
	योग	**2965**	**2784**

अनुलग्नक- II

एगमार्कनेट नोड्स को प्रदान किए गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपकरण

प्रत्येक एगमार्कनेट नोड्स पर निम्नलिखित हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर उपकरण लगाए गए हैं:-

हार्डवेयर

1) क्लाइन्ट कम्प्यूटर सिस्टम
2) अंग्रेजी, हिन्दी और एक स्थानीय भाषा वाला प्रिन्टर
3) बैटरी बैकअप के साथ लाइन एन्टरएक्टिव यू.पी.एस.
4) डायलअप आधारित कम्यूनिकेशन के लिए मोडेम

सॉफ्टवेयर

1) विन्डोज एक्स पी आपरेटिंग सिस्टम
2) माइक्रोसाफ्ट आफिस
3) एगमार्क एप्लिकेशन पैकेज

अनुलग्नक- III

कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला वचन पत्र

कार्यान्वयन एजेन्सी .... एतद्द्वारा वचन देती है कि वहः

1) योजना के अन्तर्गत प्रदान किए गए सिस्टम की देख-रेख को सुनिश्चित करेगी ताकि विपणन सूचना नेटवर्क निरन्तर चलता रहे ।

2) योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता के बन्द होने के बाद सिस्टम के अनुरक्षण और परियोजना की निरन्तरता के लिए अपेक्षित बजटीय सहायता प्रदान करेगी ।

3) नेटवर्क के सुचारु संचालन के लिए अपेक्षित मानवशक्ति प्रदान करेगी ।

4) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी ।

कार्यान्वयन एजेंसी

अनुलग्नक- IV

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के सम्पर्क कार्यालय पते सहित

कार्यालय का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, ग्रीन हाऊस, तीसरा तल, ब्लाक-1, सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500 019 दूरभाषः 040-24657446 dmihy@ap.nic.in	आन्ध्र प्रदेश
वरिष्ठ विपणन अधिकारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, रुकमणीगांव, नवरत्न पथ, हाऊस नं0-09, प्रथम तल, पो.आ. खानपाड़ा, गुवहाटी-781 022 (असम) दूरभाषः 0361-2229272, 2229273 dmias02@nic.in	अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर
वरिष्ठ विपणन अधिकारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नगीना निकेतन, ए.एन. कालिज के सामने, बोरिंग रोड, पटना-800 013 (बिहार) दूरभाषः 0612-2266691 dmibi02@nic.in	बिहार
सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, जनरल पूल कार्यालय भवन, चतुर्थ तल, ए विंग, डी.एफ. ब्लॉक, सेक्टर-1, साल्ट लेक, कोलकाता-700 064 (पश्चिम बंगाल) दूरभाषः 033-23340845, 23347553 dmiwb03@nic.in	पश्चिमी बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, झारखंड

वरिष्ठ विपणन अधिकारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, छठा तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-9ए, चंडीगढ़-160 047 दूरभाषः 0172-2743201 dmich01@nic.in	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, संघ राज्य क्षेत्र
सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, 245, द्वितीय तल, एम.पी. नगर, जोन-II, भोपाल-462 011 (म0प्र0) दूरभाषः 0755-2551847 dirmkti@mp.nic.in	मध्य प्रदेश, छत्तीतगढ़
सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, 4/20, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002 दूरभाषः011-23264635, 32277295 dmidl06@nic.in	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, और उत्तराखंड
वरिष्ठ विपणन विकास अधिकारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, 1, इन्द्रप्रस्थ सोसाइटी, प्रथम तल, गांधी ब्रिज के पास, शाहपुर, अहमदाबाद-380 004 (गुजरात) दूरभाषः 079-25660965 dmi-ahm@guj.nic.in **वरिष्ठ विपणन अधिकारी,** विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, गोंडल रोड, भक्ति नगर, राजकोट-360 002 (गुजरात) दूरभाषः 0281-2227971, 2227997 dmigj04@nic.in **विपणन अधिकारी,** विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कस्तूरी अपार्टमेंटस गाज्जरवाड़ी, आठवागेट, सूरत (गुजरात) दूरभाषः 0261-2650703 dmigj05@nic.in	गुजरात दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली

विपणन अधिकारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, ए.पी.एम.सी. कॉम्पलैक्स, आरलेम राजा सलकेटी, मरगोवा, गोवा-403 720 दूरभाषः 0832-2743589 jmrao80@hotmail.com	गोवा
विपणन अधिकारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, 61 ए एक्सटेंशन-II, गांधी नगर, जम्मू तवी-180 004 (जम्मू एवं कश्मीर) दूरभाषः0191-2450478 dmijk01@nic.in	जम्मू एवं कश्मीर
सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, ब्लाक-ए छठा तल, केन्द्रीय भवन, CSEZ के सामने, काकानाड, कोच्ची-682 037 (केरल) दूरभाषः0484-2664145 cochin@sancharnet.in **वरिष्ठ विपणन अधिकारी,** विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, टी.सी. नं0-25/1107 (6) द्वितीय तल, रामकृष्ण बिल्डिंग, मनोरमा के पास, थम्पानूर, तिरुवनन्तपुरम-695 001(केरल) दूरभाषः 0471-471134	केरल, लक्षद्वीप
सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, एम.जी. कॉम्पलैक्स, ए.पी.एम.सी. यशवन्तपुर, बंगलौर-560 080 (कर्नाटक) दूरभाषः 080-23473004 bngdmi@kar.nic.in	कर्नाटक
सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, तीसरा तल, न्यू मेरिन लाइन्स, मुम्बई-400 020 (महाराष्ट्र) दूरभाषः022-22036801, 22032699, 22014533 dmiromah@nic.in	महाराष्ट्र

विपणन अधिकारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, ऑस्कर्ड बैंक बिल्डिंग, चतुर्थ तल, ए/34,जवाहर लाल नेहरु मार्ग, भुवनेश्वर-751 001 (उड़ीसा) दूरभाषः0674-2395299 dmior01@nic.in	उड़ीसा
उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, शास्त्री भवन, चतुर्थ तल, छठा ब्लाक, 26 हैडोस रोड, चेन्नई-600 006 (तमिलनाडू) दूरभाषः044-28271738, 28278065 dmirotn@nic.in	तमिलनाडू, पुडुचेरी
सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय सदन परिसर, 'ए' ब्लाक, चतुर्थ तल, सेक्टर-10, विद्याधर नगर, जयपुर-302 023 (राजस्थान) दूरभाषः0141-2711300, 2708507 dmirj01@nic.in	राजस्थान
विपणन अधिकारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कम्प्यूटर केन्द्र, ए.पी.एम.सी., निरंजनपुर, देहरादून (उत्तराखंड) दूरभाषः0135-2521493 dmiddn-ua@nic.in	उत्तराखंड
सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पांचवा तल, हाल नं0-2, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ-226 024 (उ0प्र0) दूरभाषः0522-2326658 agmark@up.nic.in	उत्तर प्रदेश

(अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप **www.agmarknet.nic.in** *पर उपलब्ध राज्य स्तर के सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों और राज्य कृषि विपणन बोर्डों/निदेशालय के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं)*

अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें:

1. **श्री लल्लन राय,**
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क (म्रिन)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
कृषि एवं सहकारिता विभाग,
कृषि मंत्रालय,
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, एन.एच.- IV,
फरीदाबाद-121 001
दूरभाषः 0129-2434351
lrai@nic.in

2. **श्री पी.के. सूरी,**
राष्ट्रीय परियोजना निदेशक,
एगमार्कनेट परियोजना निदेशालय,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,
सूचना एवं दूर संचार विभाग एवं आई.टी. विभाग,
ए-ब्लाक, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110 003
दूरभाषः 011-24367712
pksuri@nic.in

3. **श्री राजीव शर्मा,**
निदेशक (तकनीकी),
एगमार्कनेट परियोजना यूनिट,
एन.आई.सी.-डी.एम.आई. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, एन.एच.-IV ,
फरीदाबाद-121 001
दूरभाषः0129-2415954
rajivkumar@nic.in